न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 156/2017 अपील (GCMS/2017/00194)
पंजीयन दिनांक - 20.12.2017
निर्णय दिनांक - 21.09.2020

1. श्री पेमाराम पिता श्री टीलाराम बलाई, निवासी कुण्डाल की गुआर, भीम तहसील भीम, जिला राजसमन्द।

-अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम जिला राजसमन्द।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री कमलेश चौहान - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-31/2016, में श्री पेमाराम बलाई बनाम तहसीलदार, भीम में न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 21.09.2020

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या-31/2016, में श्री पेमाराम बलाई बनाम तहसीलदार, भीम में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री पेमाराम बलाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष तहसीलदार, भीम द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1673 दिनांक 28.06.1986 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व ग्राम भीम, पटवार हल्का भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द में स्थित वर्तमान आराजी नम्बर 3725 रकबा 0.05 बिस्वा भूमि स्थित है, जो अपीलान्ट के पिता श्री टीलाराम को दिनांक 18.01.1982 को आवंटित हुई थी, जिसका विधिवत नामान्तरकरण संख्या-1420 दिनांक 26.02.1985 को श्री टीलाराम के

नाम स्वीकृत किया गया। उक्त अपीलार्थी की भूमि को तहसीलदार, भीम द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने दिनांक 28.06.1986 को पुनः बिलानाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जो विधि के विपरित है। उक्त भूमि 0.05 बिस्वा बाडे के लिये अपीलार्थी के पिता को आवंटित हुई जिस पर अपीलान्ट के पिता एवं उसके बाद अपीलान्ट का कब्जा है जिसे बिना सुने बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज कर आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक हैं।

- अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत उक्त अपील को निर्णय दिनांक 25.07.2017 से खारिज कर अंकन किया कि ''**अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण फैसल करने से पूर्व अपीलांट की सुनवाई नहीं की गई किन्तु इस न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण रूप से सुना गया। बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी भीम के द्वारा प्रकरण संख्या-7/82 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.1985 से ग्राम भीम के तहसील भीम के आराजी नम्बर 3725 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादीगण रामसिंह, हजारीसिंह वगैराह के खातेदारी हक स्वीकृत किया और उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, भीम के द्वारा नामान्तरकरण संख्या-1673 दिनांक 28.06.1986 को स्वीकृत किया जो विधि अनुसार है। अतः अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाती है। तहसीलदार, भीम द्वारा राजस्व ग्राम भीम का नामान्तरकरण संख्या-1673 फैसल दिनांक 28.06.1986 विधि सम्मत होने से बहाल रखा जाता हैं।**''

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2017 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 04.12.2017 को प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया गया जिस पर आपत्ति/निर्णय को आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 20.12.2017 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 14.09.2020 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम भीम, पटवार हल्का भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द में स्थित वर्तमान आराजी नम्बर

3725 रकबा 0.05 बिस्वा भूमि स्थित है, जो अपीलान्ट के पिता श्री टीलाराम को दिनांक 18.01.1982 को आवंटित हुई थी, जिसका विधिवत नामान्तरकरण संख्या-1420 दिनांक 26.02.1985 को श्री टीलाराम के नाम स्वीकृत किया गया। उक्त अपीलार्थी की भूमि को तहसीलदार, भीम द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने दिनांक 28.06.1986 को पुनः बिलानाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जो विधि के विपरित है। उक्त भूमि 0.05 बिस्वा बाडे के लिये अपीलार्थी के पिता को आवंटित हुई जिस पर अपीलान्ट के पिता एवं उसके बाद अपीलान्ट का कब्जा है जिसे बिना सुने बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज कर आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो निरस्तनीय हैं। अपीलार्थी के पिता के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा ही आलौच्य नामान्तरकरण पारित किया गया। कानूनन यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि प्रार्थी स्वयं अपने मामलें का न्यायाधीश नहीं हो सकता लेकिन उक्त प्रकरण में आदेश जिसका उल्लेख नामान्तरकरण फैसल करने में किया गया है, पारित करने वाला एवं उसके आधार पर निर्णय करने वाला दोनों की स्थिति समान है। ऐसे आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी अपीलान्ट के पिता को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपील को आधारहीन तरिके से अस्वीकृत किया गया है, जिस निर्णय व डिक्री का हवाला दिया गया है, उसमें अपीलार्थी न तो पक्षकार था, न ही उसे सुना गया है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय एवं डिक्री जिसके आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है, उक्त निर्णय व डिक्री से अपीलार्थी पाबन्द एवं प्रतिबंधित नहीं है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर मनन विचार नहीं किया। आलौच्य नामान्तरकरण प्रारम्भ से अवैध है, और ऐसे नामान्तरकरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। यदि उक्त मामलें को तकनीकि आधार पर अस्वीकृत किया जाता है तो अपीलार्थी के विधिक हक व अधिकार प्रभावित होते है और न्याय से वंचित होगें। अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी, जानकारी होते ही प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई जिसके विलम्ब क्षम्य किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। अन्त में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.07.2017 को अपास्त फरमाये जाकर उक्त भूमि को अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द का आदेश विधि सम्मत होने एवं सभी तथ्यों के परीक्षण व विश्लेषण उपरान्त पारित किये जाने का कथन कर अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को कोई विधिक हक एवं अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तौर पर पारित निर्णय के यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। राजकीय पेरोकार द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मयाद बाहर है, प्रस्तुत कारण

संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलार्थी अधिवक्ता की उपस्थित का अंकन है। ऐसे में प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

यहा सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु पर भी विवेचन किया जाना उचित होगा। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अधिवक्ता अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया और आलौच्य निर्णय से अपीलार्थी को ससमय जानकारी थी, परन्तु ससमय जानकारी उपरान्त भी अग्रिम कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नही की गई। इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है उपरोक्त विवेचनानुसार ऐसी अपील जो निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई, विधि सम्मत नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय एवं दस्तावेजों से प्रकट होता है कि ग्राम भीम के खसरा नम्बर 3725 कुल रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा किस्म मंगरी में स 05 बिस्वा भूमि तहसीलदार भीम द्वारा टीलाराम पिता मोटाराम मेघवाल निवासी भीम को दिनांक 18.01.1982 को बाड़ा आवंटन किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या-1393 दिनांक 12.02.1985 से राजस्व रेकर्ड में अमलदारामद हुआ। तहसीलदार, भीम में आदेश दिनांक 08.05.1986 से आराजी नम्बर 3725 कुल

रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा उपखण्ड अधिकारी, भीम के प्रकरण संख्या-7/82 रे.वा. द्वारा वादीगण रामसिंह हजारीसिंह वगैरह के खाते में दर्ज करने के आदेश होने से श्री पेमाराम के नाम बाड़े का आवंटन आदेश दिनांक 15.05.1985 को निरस्त कर दिया गया। इस कारण बाड़ा आवंटन के निरस्त होने से ना. क.स. 1673 दिनांक 28.06.1986 से बाड़ा निरस्त होकर बिलानाम दर्ज हुआ। दस्तावेजों के अवलोकनानुसार उक्त कार्यवाही विधि सम्मत प्रतीत होती हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-133, 134 एवं 135 में नामान्तरकरण का प्रावधान है। इस बारें में पूर्ण विधि का विवरण राजस्थान भू-राजस्व अभिलेख नियम, 1957 के नियम 119 से 148 में दिया गया है। आलौच्य नामान्तरकरण उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप स्वीकृत किया गया है जो विधि अनुसार सही हैं। दौराने अपीलीय कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो यह प्रकट करता हो कि उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद/प्रकरण/अपील प्रस्तुत की गई हों। प्रश्नगत अपील में अपीलार्थी अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष अपीलार्थी द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर पुरी तरह गौर किया एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2020 को सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर